(c) the steps taken to clear the project quickly?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The M. S. Swaminathan Research Foundation, Chennai, have formulated a project on "Strengthening the Managment of Gulf of Mannar Biosphere Reserve" which received a Project Development Fund Grant-B of US$ 1,94,000 from the Global Environment Facility (GEF). The proponents have submitted a Project Brief which has been examined in the Ministry. The proponents have been asked to modify the proposal in order to reflect Government of India's cocerns appropriately before the Government's formal approval is accorded for seeking the GEF approval.

Installation of Effluent Treatment Plants

1109. SHRI PRAFULL GORADIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Supreme Court had directed tanneries/distilleries to instal effluent treatment plants;

(b) if so, whether these plants are working and their performance is monitored; and

(c) if not, why these tanneries/distilleries are allowed to function and endanger the lives of the people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) and (b) Yes, Sir. The tanneries and distilleries have been directed to instal effluent treatment plants, as well as upgrade the existing effluent treatment plants, in a time bound manner. The progress in installation/upgradation of effluent treatment plants, by these units, has been periodically monitored and non-compliance units have been closed down.

(c) Does not arise.

सर्कस के जानवरों का पुनर्वास

1110. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सर्कस के जानवरों के पुनर्वास का मामला अधर में लटका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उन्हें चिड़िया घरों में रखने से मना कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कौन-कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 14 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना के तहत जानवरों की पांच प्रजातियों अर्थात् बाघ, तेंदुआ, शेर, भालू और बन्दर के प्रशिक्षण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। माननीय उच्च न्यायालय के 16 दिसम्बर, 1998 के आदेश के तहत उक्त अधिसूचना का समर्थन प्रदान किया है। उक्त आदेश में भारत सरकार को उक्त अधिसूचना में शामिल किए गए याचिकादाताओं के जानवरों के अनुरक्षण हेतु दो महीने की अवधि का भुगतान करने को कहा गया था। तदनुसार, जानवरों के अनुरक्षण की लागत का भुगतान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा अभी यह निर्णय किया जाना है कि याचिकादाताओं द्वारा जानवरों का अभ्यार्पण किया जाए अथवा नहीं।

तथापि, प्रारम्भिक अभ्यास के रूप में सचिव (पर्या० एवं वन) की अध्यक्षता में 15.2.1999 को आयोजित बैठक में विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया गया। उक्त बैठक में अन्य बातों के साथ साथ यह निर्णय भी किया गया कि सर्कस मालिकों द्वारा सर्कस के जानवरों का अभ्यार्पण करने की दशा में उनके बचाव की सुविधाओं का सृजन किया जाना चाहिए।